मुख्यमंत्री जड़ी–बूटी विकास योजना

जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान

मण्डल, गोपेश्वर, चमोली

उत्तराखण्ड

परिचय

उत्तराखण्ड राज्य औषधीय एवं सगन्ध पादपों की विविधता एवं विभिन्नता के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। वर्तमान में स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जगरूकता के कारण हर्बल उत्पादों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। फलस्वरूप प्राकृतिक रूप से पायी जाने वाली महत्वपूर्ण जडी–बूटी प्रजातियों का बहुत अधिक विदोहन किया जा रहा है तथा इनकी प्राकृतिक क्षेत्रों से उपलब्धता कम होने के साथ ही कुछ दुर्लभ प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। महत्वपूर्ण जडी–बूटी प्रजातियों का प्राकृतिक वास में संरक्षण किये जाने के साथ साथ उनकी सतत उपलब्धता एवं प्रयोग हेतु कृषिकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इस दिशा में सरकार द्वारा अत्यधिक प्रयास किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को इस क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा रही है ताकि भविष्य में अधिकतर प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सके।

वर्तमान परिस्थितियों में सरकार द्वारा जडी–बूटी क्षेत्र के विकास हेतु प्रदेश स्तर पर एक वृहद कार्ययोजना की आवश्यकता महसूस की गयी। अतः उत्तराखण्ड में औषधीय एवं सगन्ध पादपों के समग्र विकास हेतु समस्त 13 जनपदों के प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर कार्ययोजना तैयार किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 27 जुलाई 2009 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्ययोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 27 अगस्त 2009 से 14 अक्टूबर 2009 तक उत्तराखण्ड के समस्त जनपद मुख्यालयों में जिला प्रशासन के सहयोग से एक–एक दिवसीय कार्यशालाऐं आयोजित की गयी। प्रत्येक कार्यशाला में जिला प्रशासन, भेषज विकास इकाई, विकासखण्ड अधिकारियों, जनपद में कार्यरत समस्त विभागों के प्रतिनिधियों एवं जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर के मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। कार्यशाला का संचालन शोध संस्थान के नामित वैज्ञानिको /जिला समन्वयकों द्वारा किया गया। प्रदेश में जडी–बूटी विकास को गति प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड दिवस 09 नवम्बर, 2009 को **मुख्यमंत्री जड़ी–बूटी विकास योजना** घोषित की गयी। जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षो 2009–10 से 20013–14 तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना है।

<u>उद्देश्य एवं प्राथमिकताऐं</u>

- उत्तराखण्ड को विश्व के सबसे बडे हर्बल एवं आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित करना।
- लगभग 50,000 कृषकों को औषधीय एवं सगंध पादप उत्पादन से जोडना।

- प्रदेश में हर्बल गार्डन, सुदृढ विपणन तंत्र, भण्डारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन को विकसित करना।
- घरेलू आय को बढ़ाने के लिए स्थानीय कृषक समुदायों को जड़ी बूटी एवं सगंध पादपों के कृषिकरण हेतु प्रोत्साहित करना।
- जड़ी बूटी एवं संगध पादपों के प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना।
- जड़ी बूटी के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना।
- ईको एवं हर्बल पर्यटन को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना।

मुख्यमंत्री जड़ी–बूटी योजना की मुख्य विशेषतायें

- औषधीय एवं सगन्ध पादपों का संकुल आधारित कृषिकरण ।
- पौधशालाओं का विकेन्द्रीकरण।
- कटाई पश्चात तकनीक मूल्य वृद्धि एवं भण्डारण आदि की आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित कर उच्च गुणवत्तायुक्त जड़ी–बूटी की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- बाजार मांग के आधार पर वांछित मात्रा की जड़ी–बूटी की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- काश्तकारों की अनुपयुक्त भूमि का जडी–बूटी कृषिकरण कर सदुपयोग करना।
- स्थानीय काश्तकारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना तथा उद्यमिता विकास करना।
- हर्बल गार्डन स्थापित कर औषधीय एवं सगन्ध पादपों का *ex-situ* संरक्षण।
- औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना के द्वारा प्राकृतिक क्षेत्रों में औषधीय एवं सगन्ध पादपों का *in-situ* संरक्षण।
- राज्य को वास्तविक हर्बल प्रदेश के रूप में स्थापित करना।

योजना के जनपदवार लक्ष्य (आगामी पांच वर्षो हेतु)

क्रम	जनपद	कुल विकास खण्ड	कुल चयनित कलस्टर	कृषिकरण हेतु चयनित न्यूनतम क्षे.फ. (हे.)	सम्भावित लाभार्थी
1.	चमोली	09	33	935	3800
2.	रूद्रप्रयाग	03	13	475	1700
3.	पिथौरागढ	08	29	1045	5800
4.	बागेश्वर	03	16	320	3360
5.	चम्पावत	04	16	345	4700
6.	नैनीताल	08	24	485	5550
7.	अल्मोडा	11	38	760	6240
8.	टिहरी	09	30	300	4170
9.	उधमसिंहनगर	07	21	630	2970
10.	पौडी	15	45	675	5175
11.	उत्तरकाशी	06	18	270	3630
12.	हरिद्वार	06	17	238	595

13.	देहरादून	06	18	252	630
कुल		**95**	**318**	**6730**	**48320**

योजना के वार्षिक लक्ष्य

क्रम	मद	निर्धारित वार्षिक लक्ष्य					कुल लक्ष्य
		2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	
1.	संकुल विकास	90	60	60	60	48	**318**
2.	कृषिकरण (है0)	2050	1126	1118	1118	1118	**6530**
3.	पौधशाला की स्थापना(सं0)	39	45	40	40	40	**204**
4.	हर्बल गार्डन की स्थापना (सं0)	3	4	2	2	2	**13**
5.	लाभार्थी (सं0)	6100	12000	12000	12000	7900	**50000**

मुख्यमंत्री विकास योजना के अन्तर्गत जडी–बूटी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाऐं :–

1. **जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान (एच0आर0डी0आई0), गोपेश्वरः–** उत्तराखण्ड राज्य औषधीय पादप बोर्ड की ''शीर्ष क्रियान्वयन संस्था'' (Nodal Agency) संस्था है। एच0आर0डी0आई0, की शाखा सगन्ध पौधा केन्द्र, की स्थापना वर्ष 2002 में सेलाकुई, देहरादून में की गयी।
2. **भेषज विकास इकाईः–** भेषज विकास इकाई को वर्ष 2006 में सहकारिता विभाग से उद्यान विभाग में हस्तान्तरित किया गया है तथा इसका मुख्यालय देहरादून में है। वर्तमान में यह संस्था जडी–बूटी कृषिकरण, प्रशिक्षण आदि कार्य कर रही है।
3. **जिला सहकारी भेषज संघः–** प्रत्येक जनपद में जिला सहकारी भेषज संघ कार्य कर रहे हैं जो मुख्यतया वनों से जडी–बूटियों के संग्रहण, विपणन एवं नर्सरी आदि का कार्य करते हैं।
4. **संग्रहण संस्थाऐंः–** वनों से जडी–बूटी संग्रहण कार्य में **जिला सहकारी भेषज संघों** के अतिरिक्त उत्तराखण्ड **वन विकास निगम** एवं **कुमाउं मण्डल विकास निगम** भी कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2009–10 से **गढ़वाल मण्डल विकास निगम** को भी इस कार्य में सम्मिलित किया गया है।
5. **वन विभागः–** वन विभाग द्वारा विभिन्न नर्सरियों में जडी–बूटियों की पौध तैयार की जाती है तथा वन क्षेत्रों में इनके संरक्षण का पूर्ण दायित्व वन विभाग का ही है। वन विभाग के द्वारा जडी–बूटी संरक्षण, विकास एवं संग्रहण पर एक विस्तृत योजना सी0डी0एच0 का संचालन किया जा रहा है।
6. **एन.जी.ओ. एवं विश्वविद्यालयः–** इसके अलावा प्रतिशील एन.जी.ओ. एवं कुछ विश्वविद्यालय भी प्रदेश की जडी–बूटी क्षेत्र में सहयोगी संस्थाऐं हैं।

प्रदेश में जडी–बूटी सैक्टर में मुख्य रूप से जडी–बूटी कृषिकरण, वनों से संग्रहण एवं विपणन का कार्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य उपलब्धियां

1. जडी–बूटी कृषिकरण

प्रत्येक वर्ष संस्थान एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा कृषकों के माध्यम से जनपदवार जडी–बूटी कृषिकरण कराया जाता है। चूकि अधिकतर जडी–बूटियों का फसल चक्र दो वर्ष या इससे अधिक है। इसलिये कृषक कम भूमि पर ही जडी–बूटी कृषिकरण में संलग्न है।

2. जडी–बूटी कृषिकरण पंजीकरण

जडी–बूटी कृषकों को लाभान्वित करने एवं उन्हें सुविधाऐं प्रदान करने के उद्देश्य से उनका पंजीकरण वर्ष 2005 से शुरू किया गया है। पंजीकरण का कार्य जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर एवं इसकी शाखा सेलाकुई में किया जाता है। अब तक लगभग 24 हजार कृषकों का पंजीकरण निम्नप्रकार किया जा

चुका है। पंजीकरण के आधार पर ही जडी–बूटी कृषकों को अपने उत्पाद को बाजार में विपणन किये जाने हेतु रवन्ना प्रदान किया जाता है।

3 बीज पौध उत्पादन

प्रदेश में जडी–बूटी बीज पौध की कमी को देखते हुए संस्थान एवं सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से जडी–बूअी पौध/बीज का उत्पादन कराया जाता है ताकि कृषकों को समय पर कृषिकरण हेतु बीज/पौध उपलब्ध करायी जा सके। जिसमें भेषज विकास इकाई एवं जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान की विभागीय नर्सरियां विभिन्न जनपदों में कार्यरत हैं।

4. जडी–बूटी उत्पादन

जडी–बूटी के उत्पादन का डाटाबेस तैयार करने एवं कृषकों को सुविधा प्रदान करते हुए निकासी प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने जडी–बूटी उत्पादन के बिक्रय हेतु रवन्ना वन विभाग के बजाय निदेशक जडी–बूटी के द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया है। वर्तमान में संस्थान में कार्मिकों की कमी को देखते हुए जडी–बूटी उत्पाद रवन्ना प्रत्येक जनपद में भेषज विकास इकाई के जनपद समन्वयक द्वारा दिया जा रहा है। रवन्ना के माध्यम से प्रदेश में जडी–बूटी उत्पादन को रिकार्ड किया जाता है। कुछ कृषक उत्पाद की मात्रा बहुत कम होने के कारण रवन्ना नही कटवाते ही नही। पंजीकृत कृषक को ही रवन्ना प्रदान किया जाता है। वर्तमान में लगभग 3 से 5 करोड़ की जडी–बूटी का उत्पादन कृषिकरण के माध्यम से किया जा रहा है।

5. सगन्ध पौधों के कृषिकरण हेतु आसवन संयन्त्रों की स्थापना

सगन्ध पादपों के कृषिकरण हेतु विभिन्न जनपदों में कलस्टर बनाकर आसवन संयन्त्रों की स्थापना की गयी है। जिससे कृषकों को अपने उत्पाद का आसवन कर बाजार में बेचने में सुविधा होती है।

6. कृषकों को अनुदान वितरण

प्रदेश में जडी–बूटी कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु 26 चयनित प्रजातियों के कृषिकरण पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कृषक को कृषिकरण करने के पश्चात पंजीकरण कराना होता है। उसके बाद अनुदान फार्म भरकर संस्थान में अनुदान हेतु आवेदन करना होता है। आवेदन के 6 माह के भीतर कृषक को अनुदान अवमुक्त कर दिया जाता है।

7. कृषकों को प्रशिक्षण

पंजीकृत कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान द्वारा समय समय पर संस्थान मुख्यालय में तथा जनपदों में कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। जिसमें कृषकों को वैज्ञानिकों द्वारा सम्बन्धित प्रजाति के कृषिकरण हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

8. अनुसंधान कार्य

अनुसंधान कार्य फील्ड में एवं प्रयोगशाला में किया जाता है। संस्थान मुख्यालय मण्डल गोपेश्वर में प्रयोगशाला स्थापति की गयी है जिसमें अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

9. भारत सरकार से वित्त पोषित परियोजनऐं

- **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, भारत सरकार** की वित्तीय सहायता से राज्य में औषधीय पादपों के व्यापक कृषिकरण के लिये ''नेशनल मिशन आन मेडिसिनल प्लान्ट्स'' नामक परियोजना स्वीकृत की गयी है। जिसमें पौधशालाओं का विकेन्द्रीकरण करके प्रत्येक जनपद में नर्सरियों की स्थापना की गयी है और स्थापित नर्सरी के आसपास उस प्रजाति का कलस्टर आधारित कृषिकरण कराया जा रहा है।
- ''नेशनल मिशन आन मेडिसिनल प्लान्ट्स'' नामक परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश भर में दस प्रजातियों के कृषिकरण हेतु कृषकों का चयन किया गया है तथा गुणवत्तायुक्त पौधशालाओं की स्थापना लघु एवं आदर्श पौधशालाओं के रूप में की गयी है।
- राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, सवर्धन एवं उपयोगिता हेतु यू0एन0डी0पी0 की जैफ परियोजना का संचालन किया जा रहा परियोजना के अन्तर्गत चयनित 03–एम0पी0सी0ए0 (औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र) स्थापना हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। अभी तक तीन एम0पी0सी0ए0 उत्तरकाशी, टिहरी एवं बागेश्वर में स्थापित किये जा चुके हैं।
- एपिडा, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मण्डल मुख्यालय में गुणवत्तायुक्त टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है। जिसके अन्तर्गत प्रयोगशाला स्थापना पश्चात सैम्पल परीक्षण कार्य किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राज्य में वर्ष 2010 से आंवला मिशन चलाया जा रहा है। जिसमें 72.50 लाख की परियोजना स्वीकृत हुई है। प्रत्येक जनपद में लगभग 15 है0 आंवला संकुल स्थापित किये गये है। जिसके उत्पादन के उपरान्त आंवला उत्पाद बनाना एवं इसे लघु उद्योगों से जोडने का उद्देश्य है।
- आर.के.वी.वाई. परियोजना के अन्तर्गत जनपद चमोली एवं पिथौरागढ में नर्सरियों की स्थापना की गयी है तथा कृषकों को बीजपौध उपलब्ध कराकर कृषिकरण कराया जा रहा है।